

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

कदमा नं० 169/2022

तारीख रजू :- 23-6-2022

दावा बाबत इस्तकरा रहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मशाल आई0डी0 नम्बर 2022/363

उनवान

द्विलाल पुत्र मुख्तार जाति जाट निवासी पटौदा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली  
जस्थान

—वादीगण

बनाम

मसिंह पुत्र चौथी जाति जाट निवासी पटौदा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली  
जस्थान

—प्रतिवादीगण—02

दिनांक	फर्द अहकाम
16-22	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
25/22	<p>पत्रावली पेश की जाती वकील 3 पत्रावली पत्रावली वाले नमकी दि. 18.11.22 को पेश की</p>
2/22	<p>पत्रावली माफ मिशाल तलवी के उपर पत्रा पर पेश हुई। वकील के अवगत कराने कि वकील पत्रावली के माफ वकील चलाना चाहते हैं। वकील पत्रावली के माफ वकील कराना चाहते हैं। अवगत कराने नं० 169/22 दावा द्विलाल बनाम मसिंह नोटिस के माफ किया जाता है। पत्रावली के माफ वकील नम्बर 3 नमकी</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>